कृषि अग्रणी आर्थिक पुनरूत्थान का चयन

नरेश मिनोचा

नई दिल्ली में जहां रायसीना हिल्स और नार्थ ब्लॉक स्थित है वहां पर वर्ष 2012–13 के बजट पर काम चल रहा है उस बजट में अर्थव्यवस्था की काली छाया लम्बे समय से हिन्दु विकास दर पर वापस धुंधली होती जा रही है। निर्माण खान और सेवा क्षेत्र में निवेश कम हो गया है क्योंकि सामान्य समाज और न्यायिक कार्यों में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध है। इसी कारण पिछले कई वर्षों से कृषि की वृधि दर कम रही है जिसमें देश की खाध सुरक्षा मिल है जिससे खाध मुद्रा स्फीति बढती है और इस कारण कई किसान आत्महत्या करते हैं।

फसल कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 12वीं योजना कार्यकारिणी समूह का उल्लेख करने के लिए नोवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर बाद तक भारतीय कृषि में 4 प्रतिशत वृधि का लक्ष्य रखा गया था किन्तु वास्तविक वृधि दर इस लक्ष्य से काफी कम रही। लक्षित दर से कृषि की कम दर होने से देश की समग्र अर्थव्यवस्था की वृधि में गम्भीर उलझनें पैदा होती हैं।

कई निर्माण और खान परियोजनाओं में या तो विलम्ब हो रहा है या वे समाप्त हो चुकी हैं। पूंजी निवेश में कमी की दर को कर आदि लगाकर एक रात में जादू की छडी से बदला नहीं जा सकता है ये कर केन्द्रीय बजट के सदैव अभिन्न अंग रहे हैं। वाणिज्यिक कार्य आरंभ करने के लिए सुझाव की स्थिति से परियोजना के प्रस्ताव को ले जाने में कई वर्ष लग जाते हैं।

कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए निवेश की वास्तविक गति को बनाए रखने के लिए नई नीति की शुरूआत की सम्भावित घोषणा करने में कई वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार के निवेश से नए रोजगार उत्पन्न करने में इससे भी अधिक वर्ष लगेंगे। सीआरआईएसआईएल अनुसंधान एक प्रमुख अनुसंधान एजेंसी ने वर्ष 2011–12 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृधि को कम करके 7 प्रतिशत का अनुमान लगाया है पिछले वर्ष में प्राप्त 8.5 प्रतिशत से। इससे पता चलता है कि वर्ष 2008–09 में जब विश्व में वित्तीय संकट चरम सीमा पर था तो यह दर 6.8 प्रतिशत थी और पिछले 9 वर्षों में यह दूसरी सबसे कम दर होगी। 12वीं योजना के लिए बहुत कम स्वतंत्र लोग ऐसे हैं जो वार्षिक वृधि दर का लक्ष्य 9 प्रतिशत मानकर चल रहे हैं।

उदाहरण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दशक 2011–20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृधि दर कम करके 4.7 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है जबकि 1981–2007 के दौरान 5.5 प्रतिशत की वृधि दर प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद वृधि में दशक 2021–30 में और भी कमी का अनुमान है जैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट 'एशियन सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार की दीर्घकालिक रणनीतियां जो नवम्बर 2011 में प्रकाशित हुई थी में उल्लेख किया गया है।

किन्तु सभी तरफ निराशा का माहौल होने के पश्चात भी आशा की किरण है। यह आशा पुरानी और अच्छी कृषि के क्षेत्र में हैं यहां पर निवेश पर लाभ कमाने में सबसे कम समय लगता है।

अनुभव दर्शाता है कि जब भी कृषि में प्रफुल्लता आती है तो यह निर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के विकास को बढाने की शक्ति रखती है।

दिसम्बर 2011 में अर्थव्यवस्था की मध्यवर्ष की समीक्षा करते हुए जैसा वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि 'कृषि क्षेत्र की कार्यनिष्पादनशीलता पर मेक्रो इक्नोमिक्स लचीलापन है।' सरकार द्वारा आर्थिक योजनाओं में कृषि को अंतिम स्थान पर धकेल दिया है और प्रथम स्थान पर सेवा क्षेत्र को और दूसरे स्थान पर निर्माण क्षेत्र को रखा गया है।

इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि कृषि क्षेत्र के लिए कोई लाबी काम नहीं करती न ही इसका स्वयं विपणन हो पाता है। उत्पादक और कृषि कामगार इधर से उधर घूमते रहते हैं किन्तु अपनी कोई लाबी तैयार नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अन्य क्षेत्रों के शेयरधारक कई माध्यमों से अपनी कार्यसूचियां सरकार मीडिया और गैर सरकारी संधों तथा अन्य हस्तियों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं।

इन तथ्यों से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि रोजगार देने और धन अर्जित करने में सेवा और निर्माण क्षेत्रों के महत्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इन क्षेत्रों को आगामी वर्ष 2012–13 में अपेक्षित स्थान मिलना चाहिए।

किन्तु वित्त मंत्री के वरियता स्थानों में कृषि के क्षेत्र को भी समाप्त नहीं करना चाहिए जिसका आर्थिक वृद्धि दर में महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। वे अर्थव्यवस्था की जडों तक वापिस जा सकते हैं ताकि बजट के अन्तर्गत नवीनतम शुरूआतों से आर्थिक वृधि दर बनाए रखें। अत इस समय सभी का ध्यान वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की ओर है। क्या वे आर्थिक विकास की कृषि अग्रता के महत्व पर ध्यान देंगे ?

यूपीए सरकार कृषि क्षेत्र में नई नीतियों के माध्यम से अच्छा और बहुमुखी लाभ अर्जित कर सकती है। इन लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं–

1. कृषि विकास और निर्माण एवं सेवा क्षेत्र पर इसके छोटे प्रभाव से आर्थिक विकास।
2. कृषि और संबंधित कार्यों में रोजगार शामिल होता है अत समग्र विकास होता है और इस प्रकार गांव के गरीब लोग भी अपने नजदीक ही विकास का लाभ उठा सकते हैं।
3. लोकसभा के चुनाव से ठीक दो वर्ष पहले राजनीतिक लाभ भी उठाया जा सकता है।

जैसी परम्परा है श्री प्रणब मुखर्जी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों के साथ बजट पूर्व विचार–विमर्श शुरू कर दिया है और सबसे पहले वे 11 जनवरी को कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिले। यदि कार्यालीन विज्ञप्ति पर विचार करें तो किसी भी और से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव या सुझाव नहीं दिया गया। कृषि क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों की सूची के अतिरिक्त श्री मुखर्जी विभिन्न औद्योगिक और व्यवसायिक संघों से कृषि मुद्दों पर सुझाव मांगेंगे।

कई संघों ने पहले ही बजट पूर्व कई ज्ञापन प्रस्तुत कर दिए हैं। अनुभव से पता चलता है कि बजट बनाने वाले इस प्रकार से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर बहुत कम विचार करते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए परस्पर विरोधी मांगों के बीच समानता बनानी होती है जिससे अन्त में राजकोष में वृद्धि होती है। किन्तु इस वर्ष स्थिति कुछ अलग है। श्री मुखर्जी को आर्थिक विकास सुधारना होगा। उन्हें बेरोजगारी और कम रोजगार वृद्धि के रूझान से भी छुटकारा पाना होगा। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र की अतिरिक्त चुनौतियों का भी सामना करना होगा जो राष्टीय खाद्य सुरक्षा बिल के क्रियान्वयन से उत्पन्न होंगी आशा है कि वर्ष 2012 में यह एक कानून बन जाएगा।

यदि उन्हें खाद्य सुरक्षा व्यापार–घाटा और चालू खाते के घाटे में अन्य गलतियों से बचना है तो उन्हें कृषि क्षेत्र को बडी मजबूती देनी होगी। इसके लिए उन्हें उन बहुमूल्य सिफारिशों पर विचार करना होगा जो उन्हें कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास के कई कार्यकारिणी समूहों से प्राप्त हुई है जिसका सरकार ने गठन 12वीं पंचवर्षीय योजना की सूचनाएं तैयार करने के लिए किया था।

इन समूहों से प्राप्त सिफारिशें हमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ/व्यावसायिकों से प्राप्त हुई हैं। इन सिफारिशों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। वास्तव में इन्हें वित्त मंत्रालय के कार्मिकों द्वारा मिला लेना चाहिए ताकि अगले 5 वर्ष में कृषि एवं रोजगार अग्रता आर्थिक वृद्धि की रूपरेखा तैयार की जा सके।

वर्ष 2012–13 12वीं योजना का प्रथम वर्ष होगा, इसलिए बजट को अंतिम रूप देते समय श्री मुखर्जी को इन सिफारिशों को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

कार्मिकों को बजट के माध्यम से कृषि की स्थाई और मजबूत वृद्धि दर के लिए तैयारी करते समय 4 दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए

- पहला, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक तेजी तभी आ सकती है जब कृषि की आधारभूत सुविधाओं और योजनाओं में निवेश किया जाए जिससे किसानों के जोखिमों में कमी आती है।
- दूसरा, इन मानदण्डों को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो यथा संभव किसी भी फसल और क्षेत्र के लिए हो।
- कृषि बजट की तैयारी में तीसरा दिशानिर्देश सहयोग बढाया जाना चाहिए जो कार्यक्रमों के लिए हो, ये कार्यक्रम विभिन्न कृषि के खण्डों के लिए होने चाहिए ताकि अधिकतम व्यय और परिणाम प्राप्त हो सके।
- चौथा पहलू कृषि और अन्य क्षेत्रों के बीच नीचे और उपर के सम्पर्कों को पहचानना है और उसके बाद योजनाएं और प्रोत्साहन तैयार किए जाएं जिनका प्रभाव किसी भी वेल्यू चेन पर पडता है।

कृषि मंत्री को यह महसूस करना चाहिए की कृषि क्षेत्र सभी आर्थिक गतिविधियों में अधिकतम जोखिम भरा है। अत केन्द्रीय बजट परियोजनाओं के आबंटन में उदार होना चाहिए ताकि वह बजट कृषि के सभी पहलुओं पर जोखिम कम कर सकें।

जोखिमों के अन्तर्गत अस्थाई मौसम, उपकरणों की कमी, उच्चतम बुआई और कटाई की अवधि में बदतर कामगारों की कमी और कई फसलों के लिए कटाई के समय समर्थन मूल्य का न होना शामिल है। इन चुनौतियों पर सरकार के असफल होने के कारण कृषि संकट बना रहता है जो समय–समय पर उत्पादकों द्वारा आत्महत्या करने के समाचारों से उजागर होता है।

जैसा आउटरीच ऑफ इंस्टीटयूशनल फाइनेंस, को–आपरेटिव्स एण्ड रिस्क मैनेजमेंट पर 12वीं योजना कार्यकारिणी समूह द्वारा उल्लेख किया गया है, 'पिछले 25 वर्षों से देश भर में फसल बीमा कार्यक्रम होने के बावजूद भी केवल 1/5 भाग किसानों या फसलों के क्षेत्र का ही बीमा किया जा सका है। केवल कुछ भाग ऋण न लेने वालों इंस्टीटयूशन नॉन–बारोअरस का ही है जो फसल बीमा कराते हैं, यद्यपि अच्छा प्रीमियम या आर्थिक सहायता के रूप में दावा मिलता है, यह भाग किसानों का लगभग 60 प्रतिशत बनता है। इसके अतिरिक्त कई फसलें हैं जिनके लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है जैसे विशेषकर सब्जियां और फल आदि।

पशुधन और कुक्कुट पालन क्षेत्र में बीमा की स्थिति दयनीय है। केवल 1.5 प्रतिशत भाग ही कुल पशुधन का बीमा के अन्तर्गत आता है। बीमा व्यवसाय श्री मुखर्जी के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं अत उन्हें सभी कृषि क्षेत्रों के खण्डों को बीमा क्षेत्र में लाना चाहिए। उन्हें डब्लूजीओ आईएफसीआरएम की सिफारिशों को क्रयान्वित करना चाहिए ताकि उन सभी किसानों के लिए आपात सुरक्षा आरंभ की जा सके जो उधार नहीं लेते हैं ताकि उन्हें घोर वित्तिय संकट से बचाया जा सके शायद उन्हें आत्महत्या की मजबूरी से छुटकारा मिल सके।

विकल्प के रूप में वे किसानों के लिए अमरीका की तर्ज पर एक गैर बीमा फसल सहायता का प्रारंभ करने की सिफारिश कर सकते हैं। अमरीका में आपात जोखिम सुरक्षा के अन्तर्गत संधीय सरकार पूरी आर्थिक सहायता के रूप में प्रीमियम देती है। किसानों को केवल दस्तावेज जमा कराने के लिए प्रशासनिक शुल्क देना होता है और उन किसानों को इससे भी छूट है जिनकी सीमित आय होती है।

श्री मुखर्जी को व्यापक बीमा योजना को राष्टीय वर्षा आधारित क्षेत्र कृषि कार्यक्रम के पूरक बनाना चाहिए जैसा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा आधारित कृषि पर 12वीं योजना कार्यकारिणी समूह द्वारा सिफारिश की गई।

इस समूह ने प्रस्ताव रखा है कि 10000 करोड़ रू. की राशि से 1000 ब्लॉक्स में यह कार्यक्रम आरंभ किया जाए। प्रत्येक ब्लॉक में प्रारंभ में 10000 हैक्टेयर के कार्यक्रम को शामिल किया जाए। जैसा ग्रुप का कहना है कि सम्पूर्ण सिंचाई क्षमता प्राप्त करने पर भी शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत वर्षा पर ही निर्भर रहेगा। वर्षा आधारित कृषि भारत की वर्ष 2011 में 1210 मिलियन की जनसंख्या में से केवल 40 प्रतिशत भाग का ही सहायता करती है। वर्षा आधारित देशों के मामले में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है किन्तु वर्षा आधारित फसल के मामले में सबसे नीचे का स्थान है।

वर्षा आधारित क्षेत्रों की क्षमता के उपयोग हेतु योजनाएँ बनाते समय कार्मिकों को सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी) और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता (आईपीयू) के बीच की दूरी को मिटाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान यह दूरी बढ़ी है और आज यह 18 प्रतिशत है।

यदि श्री मुखर्जी कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट जैसी शुरूआत के माध्यम से इस दूरी को मिटाने के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय निधि की समयबद्ध योजना तैयार करें तो अगले 5 वर्षों की खाद्य सुरक्षा से चिंता मुक्त हो सकते हैं।

प्रमुख और मध्यम सिंचाई पर 12वीं योजना कार्यकारिणी समूह का कहना है कि आईपीसी – आईपीयू की दूरी मिटाना एक 'लो हैंगिंग फ्रूट' है। इससे न केवल अतिरिक्त मिलियन हैक्टेयर को न केवल जल मिलेगा बल्कि सिंचाई परियोजनाओं में पहले से निवेश की गई राशि पर लाभ भी बढ़ेगा। सरकार को जल की व्यर्थता और हानि को बचाने के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सभी जल निकायों और जल बचत तकनीक जैसे टपकन सिंचाई आदि की परियोजनाएँ बनाकर सीपेज रोक में बड़ी मात्रा में निवेश करना होगा।

आगामी बजट में उर्वरक को महत्व देने के लिए एक परियोजना तैयार की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत टपकन सिंचाई पद्धति के माध्यम से तरल उर्वरक दी जाए। उर्वरक खेती से जल और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता में कमी आएगी क्योंकि यह दो फसलों के उपयोग के लिए अधिकतम कारगर है। सरकार को तरल उर्वरकों पर आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि उनका उत्पादन देश में हो सके। इसी बीच में इन उर्वरकों के शून्य शुल्कों पर आयात की अनुमति देनी चाहिए। इस मद में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को यूरिया को न्यूट्रियनट बेसड सब्सीडी (एनबीएस) योजना के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

वित्त मंत्री को सहकारी संस्थाओं के पुनरूत्थान के लिए भी प्रावधान करना चाहिए जिसके लिए उनके पास नई योजना है और उसमें उन्होंने केवल नाममात्र 25 करोड़ रू. की राशि रखी है। उन्हें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सभी उपकरणों और सेवाओं (कृषि उपकरणों के किराए पर लेने सहित) के प्रावधान के लिए एक ही दुकान के रूप में बदलने के लिए डब्लयूजीओआईएफसीआरएम की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से उत्पन्न श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार को कृषि मशीनीकरण पर अधिक बल देना होगा। श्री मुखर्जी को इसके लिए कृषि मशीनीकरण मिशन आरंभ करने के लिए फसल कृषि पर 12वीं योजना कार्यकारिणी समूह द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करना चाहिए। इस समूह ने सिफारिश की है कि किसानों, सहकारी संस्थाओं और इस प्रकार के अन्य संघों को मशीन से संचालित कृषि मशीनरी की खरीद पर 50 प्रतिशत का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रभाव उद्योग द्वारा महसूस किया जा रहा है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के संयंत्रों द्वारा जो आकस्मिक श्रमिकों पर निर्भर होते हैं। अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माताओं के संघ ने स्वीकार किया है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम न्यूनतम वेतन देता है और श्रमिकों को बेहतर रोजगार देने के प्रशिक्षण के उच्च स्तर को अपनाने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित नहीं करता है। इस संघ ने सुझाव दिया है कि यह योजना छोटे और मध्यम उद्योगों के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत छोटे और मध्यम उद्योग अपनी निधियाँ लगाएँगे और योजना में उपलब्ध 100 दिन के वेतन के स्थान पर औद्योगिक रोजगार 150 दिन या इससे अधिक होगा। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर जो लागू होता है वह अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी लागू होता है।

सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए कार्यक्रमों और योजनाओं के समग्र प्रतिबिम्ब पर सावंजनकि व्यय करते हुए बजट में कृषि को सम्पूर्ण वृद्धि एजेंडा का केन्द्र रखना चाहिए। जैसा फसल कृषि पर 12वीं योजना कार्यकारिणी समूह का कहना है कि 'यह अनिवार्य है कि भारत किसानों और प्राकृतिक संसाधनों पद्धति पर ध्यान दे जिसके अन्तर्गत भूमि, जल, वनस्पति आदि शामिल है जो कृषि का उत्पादन आधार बनाते हैं। अधिकतर नितियाँ कृषि पर केन्द्रीत की जाती हैं बिना किसानों की उलझनों पर ध्यान करे। जब तक कृषि की वृद्धि और विकास से किसानों का कल्याण नहीं होता तो यह बनी नहीं रह सकती है।'

*लेखक, एक वरिष्ठ पत्रकार, रसायन, उर्वरक, उर्जा और दूरसंचार के विशेषज्ञ, एक परामर्श सम्पादक taxindiaonline.com और एसोसिऐट सम्पादक, जीफाईलस इण्डिया है।